भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4697

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

.....

पानी की कमी

4697. श्री जुगल किशोर शर्मा:

श्रीमती रीती पाठक:

श्री दिलेश्वर कामैत:

श्रीमती गीता कोडा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पानी की कमी वर्तमान में और भविष्य के लिए भी चिंता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समस्या का समाधान करने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जो आज की तिथि तक पानी की कमी का सामना कर रहे हैं;

(घ) क्या लोगों को जल मित्र के माध्यम से पानी जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार, जल शक्ति अभियान में शामिल जल मित्रों की संख्या का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) रिपोर्ट-1999 के अनुसार, वर्ष 2050 के लिए उच्च मांग परिदृश्य के लिए देश की जल की आवश्यकता 1180 बीसीएम है।

एनआरएससी के सहयोग से केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित "स्पेस इनपुट का उपयोग करके भारत में जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन, 2019" शीर्षक अध्ययन के अनुसार, देश में औसत वार्षिक जल संसाधन उपलब्धता का आकलन 1999.20 बीसीएम के रूप में किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्थलाकृतिक, जल विज्ञान और अन्य सीमाओं के कारण उपयोग योग्य जल 1,126 बीसीएम है।

केंद्र सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति तैयार की थी, जिसकी बाद में समीक्षा की गई और वर्ष 2002 और 2012 में संशोधित की गई। राष्ट्रीय जल नीति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन करती है और वर्षा जल के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह अन्य बातों के साथ-साथ, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से नियोजित तरीके से नदी, नदी निकायों और बुनियादी ढांचे के संरक्षण की सिफारिश करती है। इसके अलावा, जल निकायों और जल निकासी चैनलों के अतिक्रमण और अंतरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जहां भी यह हुआ है, इसे यथासंभव पुनर्बहाल किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने कई घाटियों/उप-बेसिनों/विपथन बिंदुओं का जल संतुलन अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद, एनडब्ल्यूडीए ने जल के हस्तांतरण के लिए लिंक प्रस्तावों को तैयार करने के लिए अधिशेष और जल की कमी वाली नदी घाटियों की पहचान की है।

देश के गतिशील भूजल संसाधनों का समय-समय पर केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। 2020 के आकलन के अनुसार, देश में कुल 6965 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक/तालुका/मंडल/वाटरशेड/फिरका) में से 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1114 इकाइयों को 'अति-दोहित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहां वार्षिक भूजल निष्कर्षण वार्षिक निकालने योग्य भूजल संसाधन से अधिक है।

(घ) और (ङ): जल शक्ति अभियान (जेएसए) और जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) लोगों की भागीदारी के साथ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए हितधारक मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ सरकार द्वारा उठे गए कदम थे। जेएसए/जेएसए:सीटीआर में जल मित्र की भागीदारी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालांकि, कुछ राज्यों द्वारा जल संरक्षण जागरूकता अभियानों में अपने स्तर पर स्वयंसेवकों को शामिल किया गया हो सकता है।

****